Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बांसवाड़ा में डिप्टी जेलर, जिला कारागृह एवं उसका दलाल अधिवक्ता 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *10 मार्च, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बांसवाड़ा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सैयद आमीर अली डिप्टी जेलर, जिला कारागृह, बांसवाड़ा एवं उसके दलाल अजहर अहमद (अधिवक्ता) को परिवादी से 20 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बांसवाड़ा इकाई को परिवादिया द्वारा शिकायत दी गई कि बांसवाड़ा जेल में बन्द उसके पति एवं रिश्तेदार से मारपीट नहीं करने तथा मुलाकात करवाने की एवज में सैयद आमीर अली डिप्टी जेलर, जिला कारागृह, बांसवाड़ा द्वारा उसके दलाल अजहर अहमद (अधिवक्ता) के माध्यम से 50 हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की बांसवाड़ा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री माधोसिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल अजहर अहमद पुत्र श्री जाहिद अहमद निवासी इन्द्रा कॉलोनी, थाना कोतवाली, जिला बांसवाड़ा हाल अधिवक्ता को परिवादिया से **20 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में संलिप्तता के आधार पर आरोपी सैयद आमीर अली पुत्र स्व. श्री सैयद महमूद अली निवासी सी–26, जवाहरनगर, जिला प्रतापगढ़ हाल डिप्टी जेलर, जिला कारागृह, बांसवाड़ा को भी गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी डिप्टी जेलर सैयद आमीर अली के विरूद्ध कारागृह सलूम्बर, जिला उदयपुर पदस्थापन के दौरान भी बन्दी से मारपीट नहीं करने तथा तंग नहीं करने की एवज में रिश्वत की मांग किये जाने के संबंध में प्रकरण सं. 431/2021 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया जा चुका है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।